

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

56-57, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, दिल्ली-110058

सूचना

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण सप्ताह कार्यशाला दिनांक 09 दिसम्बर, 2023


Sexual Harassment at Workplace Prevention week on 9th December, 2023.

महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) हेतु अधिनियम दिनांक 9 दिसम्बर, 2013 को अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 के तहत महिलाओं के मौलिक अधिकार एवं समानता की गरिमा को बनाये रखता है।

इस संदर्भ में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 09.12.2023 के अनुसार 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण हेतु जागरूकता कार्यक्रम (Awareness programme) आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

तदनुसार केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 09.12.2023 समय 11:00 बजे (अपराह्न) से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण हेतु जागरूकता कार्यक्रम (Awareness programme) का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। अतः मुख्यालय में कार्यरत सभी महिला अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति दिनांक 09.12.2023 समय 11:00 बजे (अपराह्न) अनिवार्य है।

यह सूचना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी की गई है।


09/12/2023

(डॉ. सुनीता) संयोजिका

'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण सप्ताह कार्यशाला

प्रतिलिपि सूचनार्थ,

1. माननीय कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. प्रशासन विभाग
4. वित्त विभाग
5. परीक्षा विभाग
6. परियोजना विभाग
7. योजना विभाग
8. आदर्श विभाग
9. प्रकाशन एवं कार्यक्रम
10. छात्रवृत्ति विभाग
11. मुक्त स्वाध्यायपीठ विभाग
12. विक्रय विभाग
13. पुस्तकालय
14. जनसम्पर्क अधिकारी
15. विधि विभाग